U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kij
ihBklhu vf/kdkjh %ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy l[;k 451@2017

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

शान्तीलाल पुत्र इन्दाराम निवासी– खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

1. पोकरी बाई पत्नी स्व0 इन्दाराम
2. पुखराज पुत्र इन्दाराम
3. स्व0 मूलाराम पुत्र इन्दाराम के कायम मुकामः–
   1. जितेन्द्र कुमार पुत्र
   2. पारसमल पुत्र
   3. पिस्ताकुमार पुत्र
   4. हस्तूदेवी पत्नी मूलाराम

   सभी निवासी– खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.09.2017 जो जिला कलक्टर पाली ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 97/2017 अनवान श्रीमती पोकरी बाई बनाम राज0 राज्य वगैराह में पारित किया।

mifLFkfr%&&

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक व चार की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से उपस्थित।

fu.k;

fnukd 18 Qjojh] 2020

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलक्टर पाली ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 97/2017 अनवान श्रीमती पोकरी बाई बनाम राज0 राज्य पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश करते हुए यह कथन किया था कि ग्राम खिवान्दी के ख0सं0 329 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0सं0 330 रकबा 0.6100 हैक्टर, ख0सं0 331 रकबा 1.09 हैक्टर तथा ख0सं0 332 रकबा 2.47 हैक्टर भूमि शान्तीलाल, पुखराज, मूलाराम, लादूराम पुत्र इन्दाराम की खातेदार भूमि थी। इनमें से लादूराम लाऔलाद फौत गया। रेस्पो0 संख्या एक मृतक लादूराम तथा अपीलान्ट तथा रेस्पो0 संख्या 2,3 एवं स्व0 मूलाराम की माता है जो लादूराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। उक्त आधार पर लादूराम के उत्तराधिकारी रेस्पो0 संख्या एक का नाम अपीलाधीन नामा0 संख्या 483 में दर्ज होना चाहिये था परन्तु अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 संख्या 483 में मात्र अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का ही नाम दर्ज किया गया जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा प्रथम अपील पेश करते हुए अपना नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 को रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 483 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मृतक लादूराम के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विद्वान जिला कलेक्टर ने रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए जो आदेश पारित किया है वह निरस्त करने योग्य है। रेस्पो0 संख्या एक के अपीलाधीन नामा0 संख्या 483 स्वीकृत दिनांक 11.6.1993 होने के लगभग 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई प्रथम अपील पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी जिसे स्वीकार करने में जिला कलेक्टर पाली ने म्याद अधिनियम की धारा 05 का पूर्ण

परीक्षण नहीं किया और अपील को अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार किया गया, जबकि धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शाये गये, उनके आधार पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता था। ऐसे में प्रथम अपील निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को पुनः लौटा दिये जाने के पश्चात भी प्रथम अपील म्याद प्रस्तुत की गई जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रथम अपील की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी रेस्पोडेन्टस ने आपस में मिलावट करके एक दुर्भी संधि के तहत केवल मुझ अपीलान्ट को ब्लैकमेल करने के उददेश्य से ही अपील पेश की गई थी क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक अपीलान्ट की सौतेली माता है एवं उन्हें ही आगे रखकर अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि वर्तमान समय में भी अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है। रेस्पोडेन्टस का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। उक्त नामा0 को जैर अपील के चुनौती देने के पीछे कोई उचित व सदभाविक कारण नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 483 को बहाल रखा जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस संख्या एक व तीन की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेस्पो0 संख्या एक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश करते हुए यह कथन किया था कि ग्राम खिवान्दी के ख0सं0 329 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0सं0 330 रकबा 0.6100 हैक्टर, ख0सं0 331 रकबा 1.09 हैक्टर तथा ख0सं0 332 रकबा 2.47 हैक्टर भूमि शान्तीलाल, पुखराज, मूलाराम, लादूराम पुत्र इन्दाराम की खातेदार भूमि थी। इनमें से लादूराम लाऔलाद फौत गया। रेस्पो0 संख्या एक मृतक लादूराम तथा अपीलान्ट तथा रेस्पो0 संख्या 2,3 एवं स्व0 मूलाराम की माता है जो लादूराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान

है। उक्त आधार पर लादूराम के उत्तराधिकारी रेस्पो0 संख्या एक का नाम भी अन्य वारिसान के साथ–साथ अपीलाधीन फौतगी नामा0 संख्या 483 में दर्ज होना चाहिये था परन्तु अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 संख्या 483 में मात्र अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का ही नाम दर्ज किया गया जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा प्रथम अपील पेश करते हुए अपना नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 को रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 483 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मृतक लादूराम के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें जो पूर्ण रूप से उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे। अगर अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि में हक–हिस्सा बनता होगा तो तहसीलदार सुमेरपुर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में तय हो जायेगा।

8. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामा0 जो कि वादग्रस्त भूमि शान्तीलाल, पुखराज, मूलाराम, लादूराम पुत्र इन्दाराम की खातेदार भूमि थी। जिसमें से सहखातेदार लादूराम के कुवारे रहते हुए फौत हो जाने पर फौतगी नामान्तरकण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पो0 2 व 3 के नाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर के द्वारा दिनांक 11.6.1993 को स्वीकृत किया गया है। सहखातेदार लादूराम के देहान्त उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप में वर्तमान अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 जीवित सदस्य थे जिन सभी का नाम लादूराम के फौतदगी नामा0 के दर्ज करते हुए स्वीकृत किया जाना चाहिये था।

9. प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को अपने आदेश दिनांक 13.09.2017 के द्वारा यह अंकित करते हुए कि प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिया जाता है कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मृतक लादूराम के

विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें वो पूर्ण रूप से उचित है। क्योंकि मृतक सहखातेदार लादूराम के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस एक ता तीन जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार नियम लागू होते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय यह है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

10. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 फरवरी,.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj